"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2006—कार्तिक 5, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/76/2006/वाक/पांच (87).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ग की उपधारा (3) के अधीन छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 तथा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ-10/76/2006/वाक/पांच (64) दिनांक 10-07-2006 की अनुसूची के कॉलम (3) में अंकों "30-09-2006" के स्थान पर अंकों "30-11-2006" को प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ-10/76/2006/वाक/पांच (87).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/76/2006/वाक/पांच (87), दिनांक 27-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th October 2006

NOTIFICATION

No. F-10/76/2006/CT/V (87).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) chereinafter referred to as the Adhiniyam) under sub-section (3) of section 15-B of the Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Pravesh Kar Adhiniyam), the State Government hereby makes the following amendment :—

AMENDMENT

In column (3) of Schedule to the Notification No. F-10/76/2006/CT/V (64) dated 10-07-2006 for the figures "30-09-2006" the figures "30-11-2006" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.